

अंचल कार्यालय, मेहरमा (गोड्डा)

Dispos
30

आदेश-फलक

अभिलेख संख्या-

97 / 2016-17

आदेश का प्रकार - सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त जमाबंदी को रद्द/संशोधन करने में

सरकारी भूमि बंदोबस्त रैयत का नाम- सोनु चमार

पिता/पति- मसुदी चमार

मौजा- पतापुर

थाना नम्बर- 335

अंचल- मेहरमा

जमाबंदी नम्बर- 29

दाग नम्बर-

00-00-19 ५११
रकवा- 0.019 ५१०

तिथि	आदेश
<p><u>19.10.16</u></p>	<p>मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 2074/रफ दिनांक 13.05.2016 एवं भूमि सुधार उपसमार्हता, गोड्डा के पत्रांक 264/भूकु गोड्डा दिनांक 18.05.2016 एवं अपर समार्हता, गोड्डा के पत्रांक 1109/रफ दिनांक 26.08.2016 के द्वारा सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से सरकारी भूमि का कराए गए अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती को अभियान चला कर बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा- 4 (h) के तहत विधिवत सुनवाई करते हुए रद्द करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 466/रफ दिनांक 22.06.2016 एवं ज्ञापांक 688/रफ दिनांक 07.09.2016 के द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से सरकारी भूमि का अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती से संबंधित मौजावार/हल्कारवार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई।</p> <p>उक्त के आलोक में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सह भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त रैयत <u>सोनु चमार</u> पिता/पति <u>मसुदी चमार</u> मौजा- <u>पतापुर</u> को उनके दावे से संबंधित सभी प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक <u>28.10.16</u> को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>लेखापित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p style="color: green; font-size: 24px;">A</p> <p style="color: green;">19.10.16</p> <p>अंचल अधिकारी मेहरमा।</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="color: green; font-size: 24px;">2</p> <p style="color: green;">19.10.16</p> <p>अंचल अधिकारी मेहरमा।</p> </div> </div>

28.10.16

अभिलेख उपस्थापित / गौड्डा में वेडक, अभिलेख
दिनांक 04.11.16 को उपस्थापित करे /
लैखापिन

कः ३०
मंसदा

अंचल अभिलेखी
मंसदा

17/08/22 अभिलेख उपस्थापित / वारीके ।
पुनः सूचना निगत करे / साक्ष्य के साथ
दिनांक 17/08/22 को रखे

३

अं. अं

27-09-22

अभिलेख उपस्थापित / वारीके पुनः सूचना
अभिलेख शैली अपन मोबा - प्रतापपुर (द्वारा
कारनादेश की दायता प्रदान करके विना गया
है। जिसमें मोबा - प्रतापपुर न. 335 गैरम. 12/22
पं. 1-59, के. को. 1-56 के. के. फायन काचम
में 62 वकालत बलुदी जमान, सुकुल (दर) है
सुकपिल फर्मा का अवलोकन किया जा सकता
है जो वंदर (प्रेम)

अतः वारीके बाद को ~~सूचना~~
ज्याता है तदनुसार ~~काम~~

समाप्त /

अंचल अभिलेखी
मंसदा

कः ३०